दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▸ अंक : 7 ▸ गाजियाबाद, जुलाई, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन मंशा अच्छी होने ..P-8

पीएफ विभाग में 6 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया

कर्मचारियों का पी एफ का पैसा एचआर एग्जीक्यूटिव और झोलाछाप कंसल्टैंट्स ने डकारा

यह घोटाला दिल्ली मुख्यालय की स्पेशल ऑडिट टीम एवं आंचलिक धोखाधड़ी विश्लेषण और प्रबंधन कमेटी–उत्तरी जोन द्वारा नवंबर 2017 से मई 2018 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय नोएडा में किया गया था।

- एल एल ए ए यू पी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा है मेरठ पी एफ विभाग की इस मामले में जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि जिस गिरोह ने इस घोटाले को अंजाम दिया है उसके तार मेरठ पी एफ ऑफिस में गहरे तक जुड़े हैं इसलिए इसकी जाँच मेरठ में भी होनी चाहिए। मेरठ में इससे कई गुना बड़ा घोटाला सामने आएगा।

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

नोएडा। कर्मचारी भविष्य निधि विभाग नोएडा में 6 करोड़ रूपये का घोटाला सामने आया है जिसमे अधिकतर कंपनियों के एचआर एग्जीक्यूटिव एवं कुछ झोला छाप कंसल्टैंट्स की मिलीभगत है। इस पूरे मामले को जब नोएडा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया तो पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया यह सोचनीय विषय है। खैर अब विभाग न्यायालय की शरण में गया है ताकि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सके. इस पूरे मामले में 184 लोगों को आरोपित बनाया गया है, जिन्होंने 220 कम्पनियों में धोखाधड़ी की है।

कर्मचारी किसी तरह अपना पेट काटकर अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं लेकिन यहाँ पर पैसा उनका कितना सुरक्षित है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की उनके पी एफ अकाउंट से उनका पैसा गायब हो गया है। इस तरह के मामले का पता अब चल गया क्योंकि अब विभाग में सारा सिस्टम ऑनलाइन एवं के वाई सी से लिंक हो गया है जिसकी वजह से यह पता करना आसान हो गया है की किस कर्मचारी का पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है। यदि अकेले नोएडा में 6 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है तो यदि सभी कार्यालयों की जाँच की जाये तो बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है।

सबसे दुःखद बात यह है की इस मामले पर पर्दा डालकर आरोपितों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसमें पी एफ विभाग के पैनल पर शामिल एडवोकेट डी के सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कम्पनियों में फोन करके उनके मालिकों को धमका रहा है जबकि इस पूरे मामले में कंपनियों का कोई दोष नहीं है। लेकिन यह कम्पनियों में फोन करके मालिकों को धमका कर पैसे वसूलने का काम कर रहा है। इसकी शिकायतें कई कम्पनी के मालिकों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एन के सिंह से की है जिसके बाद एन के सिंह ने डी के सिंह को चेतावनी पत्र भी जारी किया है लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है और अब एन के सिंह ने कहा है की इसको किसी भी कम्पनी में फोन करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि ये किसी को फोन करता है तो आपको इससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एन के सिंह ने भी स्वीकार किया है की मेरे पास भी कई कंपनियों से फोन आये हैं की यह उनको धमका रहा है और मै इसको विभाग से डी–पैनल करवाने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को लिखूँगा। और कड़ी कार्यवाही करूंगा क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस मामले में इसको किसी भी तरह की दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस घोटाले में कई झोलाछाप कंसलटेंट और एचआर के लोग मिले हुए हैं जिनको बचाने का प्रयास डी के सिंह द्वारा किया जा रहा है। इस घोटाले में कई ऐसे केस हैं जिनमे नियोक्ता के फर्जी हस्ताक्षर से पैसे दूसरे अकाउंट में निकाले गए हैं जबकि वह पैसा उसका था ही नहीं। इसी तरह एक ही दिन में एक ही बैंक में 19 अकॉउंट एक सीरियल से खुलवाए गए हैं और उनमे पैसा ट्रान्सफर किया गया है। कई केस ऐसे भी हैं जिनमे एक आदमी के बैंक अकॉउंट में 25 पी एफ अकॉउंट का पैसा आया है।

इस सम्बन्ध में नॉएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के सेक्रेटरी जनरल पी एन सिंह का कहना है की इस मामले में आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और डी के सिंह को पी एफ विभाग से डी –पैनल किया जाना चाहिए जो कम्पनी मालिकों को फोन करके धमका रहा है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। जो असल गुनहगार हैं उनको बचाया जा रहा है। इसकी सी बी आई जाँच होनी चाहिए।

एल एल ए ए यू पी के चेयरमैन आर से माथुर ने कहा है की डी के सिंह को तुरंत डीपैनल किया जाये और आरोपितों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाये।

एल एल ए ए यू पी के वाइस चेयरमैन आई एस वर्मा ने डी के सिंह को डीपैनल करने की माँग की है और कहा की उसको भी इस मामले में आरो. पित बनाया जाये क्योंकि वह आरोपितों का साथ दे रहा है और उनको बचाने के लिए केस को कमजोर कर रहा है।

एल एल ए ए यू पी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एस एस उपाध्याय ने डी के सिंह को डीपैनल करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि यह कम्पनी मालिकों को फोन करके धमका रहा है इसलिए इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

एल एल ए ए यू पी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा है की इसको कंपनियों को फोन करने का कोई अधिकार नहीं है और इसने पी एफ विभाग के सामानांतर एक ऑफिस बना लिया है जिसमे यह कंसल्टैंटों और कंपनी मालिकों को धमका कर बुलाता है और मोटे पैसे वसूलता है इसकी शिकायत कई कम्पनी मालिकों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम एन के सिंह से भी की है और उन्होंने इसको चेतावनी भी मेल के माध्यम से दी है। उनका कहना है की इसकी वजह से विभाग की बदनामी हो रही है इसको डीपैनल करवाने के लिए हम केंद्रीय कार्यालय दिल्ली को लिखेंगे। सत्येन्द्र सिंह ने सभी से अनुरोध किया है की ये यदि आपको फोन करता है

शेष पृष्ठ 6 पर

- मामले की सीबीआई जाँच करवाये जाने की माँग
- सरकारी विभाग का मुकदमा जब पुलिस नहीं दर्ज कर रही है तो कैसे एक साधारण आदमी पुलिस से अपना काम करवा सकता है
- डी के सिंह को तुरंत डी–पैनल किया जाये
- आरोपितों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाये।

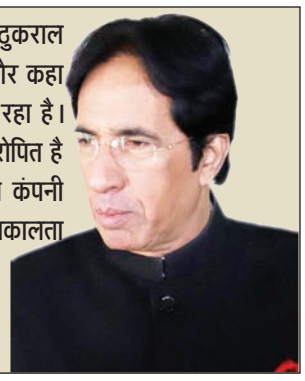

नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल ने डी के सिंह को डीपैनल करने की माँग की है और कहा है की यह कंपनी मालिकों को फोन करके धमका रहा है। उन्होंने कहा है की विभाग इस मामले में जो भी आरोपित है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे और कहा की कंपनी मालिक के फर्जी हस्ताक्षर करके यदि कोई पैसे निकालता है तो इसमें कंपनी मालिक का क्या कसूर है जो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पूरे मामले की सी बी आई जाँच करवाये जाने की जरुरत है।

एन इ ए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने भी डी के सिंह को डीपैनल करने की माँग करते हुए कहा है की उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जायेगा। जो भी आरोपित हैं उनको कड़ी सजा दिलवाई जाए और व्यापारियों को फोन करके धमकाया ना जाये। क्योंकि इस केस में उनका कोई दोष नहीं है। यदि उनको धमकाया जाता है तो एनइए सख्त एक्शन लेगा।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम गौतमबुद्ध नगर एन के सिंह ने कहा है की दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा और कड़ी कार्यवाही की जायेगी। और जो भी इस केस में आरोपित हैं उनको कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।

हिन्द मजदूर सभा के महासचिव आर पी सिंह चौहान ने कहा है की श्रमिकों के खून पसीने की कमाई को लूटा गया है और हिन्द मजदूर सभा इस मामले को दबाने का प्रयास करने वाले डी के सिंह और झोलाछाप कंसल्टैंटों की गिरफ्तारी होने तक बहुत जल्द ही एक वृहद आंदोलन करने जा रही है और श्रमिकों का पूरा पैसा वापस मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इनका कहना है की डी के सिंह ने इन कंसल्टैंटों से मोटा पैसा खाया है इसकी भी जाँच होनी चाहिए।

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING						GUJRAT MINIMUM WAGES				PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL		U.P. ENGG. BELOW 500		U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES				
	W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/19 TO 30/09/2019		01/02/19 TO 31/07/2019		01/02/19 TO 31/07/2019	1/10/2018	1/5/2019	01/04/2018 TO 30/09/2018		1/3/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA		BASIC +DA		BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I	BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8021.52		9380.31		9834.20	14000.00	5850.00	8213.40	8005.40	7852.17	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	8823.67		10300.69		10817.62	15400.00	6162.00	8421.40	8213.40	8632.17	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*		*		*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*		*		*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	9883.90		11435.41		11801.04	16962.00	6474.00	8655.40	8421.40	9529.17	*	9518.00
SKILLED A	*		*		*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*		*		*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*		*		*	*	7774.00	*	*	10561.17	11266.23	*

'लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन यू पी' ने प्रमुख सचिव श्रम उप्र को श्रम विभाग की समस्याओं से अवगत करवाया

गौतमबुद्ध नगर जिले में एक 'अपर श्रमायुक्त' की पोस्ट का निर्माण किया जायेगा – सुरेश चंद्रा (प्रमुख सचिव श्रम उ प्र)

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

गाजियाबाद। "लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन यू पी" ने प्रमुख सचिव श्रम उ प्र सुरेश चंद्रा से मिलकर उनको श्रम विभाग की समस्याओं से अवगत कराया तथा उनसे समस्याओं के समाधान की अपील की। एसोसिएशन के सदस्यों ने सत्येन्द्र सिंह (प्रदेश अध्यक्ष) के नेतृत्व में प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा से मुलाक. ात की और उनसे मांग की कि छोटे कारखाना मालिकों को प्रदूषण विभाग एवं अग्नि शमन विभाग से एन ओ सी की आवश्यकता से मुक्त किया जाये ताकि उनको उद्योग लगाने में सहजता महसूस हो। सत्येन्द्र सिंह ने मांग की कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को उनको सहूलियतें भी देनी होंगी तभी उ प्र में लोग उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होगा।

विदेशी मालिकानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म की जाये क्योंकि उनके पास आधार कार्ड होता ही नहीं है और बन भी नहीं सकता है। इसके साथ ही कांट्रेक्टर लाइसेंस और दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के तहत रजिस्टर्ड कम्पनियों का डाटा अपडेट किया जाये जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में एन सी आर के कारखानों की सुविधा के लिए श्रमायुक्त उ प्र, डायरेक्टर ऑफ बायलर उ प्र, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज उ प्र का कैम्प ऑफिस खोला जाये ताकि लोगों को भागकर कानपुर न जाना पड़े और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योग. पतियों को सुविधाएँ मिल सकें और उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से हो सके।

इसके साथ ही उ प्र में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को लागू किया जाये और उसके लिए यू पी आई डी एक्ट एवं यू पी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग आर्डर) एक्ट में संशोधन किया जाये क्योंकि तभी इसे लागू किया जा सकता है। यह उ प्र को छोड़कर पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा चुकी है।

इसके साथ ही यह भी मांग की गयी की गौतम बुद्ध नगर जिले में एक "अपर श्रमायुक्त" की पोस्ट का निर्माण किया जाये क्योंकि उपश्रमायुक्त के बस में इतने बड़े जिले को संभालना मुश्किल है और इसकी वजह से काफी समस्याएं आ रही हैं और श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच काफी असंतोष उत्पन्न हो रहा है।

इस पर प्रमुख सचिव श्रम ने भी सहमती जताई और कहा की इसके लिए हम जल्द ही प्रयास करते है और यहाँ पर अपर श्रमायुक्त की पोस्ट का निर्माण करते हैं। एसोसिएशन की तरफ से आर सी माथुर, आई एस वर्मा, डॉ. एस एस उपाध्याय, निरंजन गुप्ता, शुभ्रांशु शेखर इत्यादि लोग वार्ता में मौजूद थे।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

एक साल में चार बार मातृत्व अवकाश, करोड़ों का घोटाला

ऑडिट में हुआ पदार्फाश, 10 करोड़ के वारे–न्यारे का अनुमान

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

फरीदाबाद। निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं अमूमन साल में एक बार ही मातृत्व अवकाश लेती हैं, लेकिन यहां तो गजब मामला ही सामने आया है। कई महिलाओं ने एक साल में चार–चार बार मातृत्व अवकाश लिया। उन्हें गर्भपात कराने के नाम पर भी कई बार मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई। हैरत की बात यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी)के अस्पतालों में ऐसा हुआ। निगम की ऑडिट में यह पकड़ में आया है। माना जा रहा है कि एक साल में चार बार मातृत्व अवकाश देने में निगम के अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सकों की मिलीभगत रही होगी। ऑडिट टीम इसमें करीब 10 करोड़ रुपये के वारे–न्यारे का अनुमान लगा रही है। सीबीआइ के साथ निगम की विजिलेंस टीम ने घोटाले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार तक इस मामले में निगम के तीन शाखा प्रबंधकों और छह

❑ सीबीआइ के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने शुरू की जांच

कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। हालांकि अधिकारी इनका नाम नहीं बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि निगम के चिकित्सकों ने मातृत्व अवकाश देने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पेश किए।

इस इलाके में कई औद्योगिक इकाइयों में सैकड़ों महिलाएं कार्यरत हैं। इनके वेतन से ईएसआइसी के मद में पैसे कटते हैं और इसके एवज में महिलाओं को ईएसआइसी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पैसे ईएसआइसी के खाते में जमा होता है। निगम की ओर से ईएसआइसी कार्डधारक महिलाओं को डिलीवरी के दौरान 84 दिन का मातृत्व अवकाश (सवेतन) दिया जाता है। गर्भपात (कम से कम तीन माह की गर्भवती) कराने पर महिला को

> मातृत्व अवकाश के नाम पर गड़बड़ी की जांच चल रही है। हम इस मामले की भी जांच कर रहे हैं कि ऑडिट में गड़बड़ी के मामले देरी से क्यों सामने आए? ब्रांच मैनेजर की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
>
> –सुनील कुमार, उप निदेशक, (वित्त) ईएसआइसी

42 दिन का (सवेतन) अवकाश भी दिया जाता है। इस अवकाश का पैसा निगम की ओर से महिला के बैंक खाते में डाल दिया जाता है। निगम की ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि कुछ महिलाओं ने सुविधा का लाभ उठाने के लिए ठेकेदारों, अधिकारियों, चिकित्सकों से मिलीभगत की और स्वयं को वर्ष में कई बार गर्भवती दिखाया। निगम के अधिकारियों के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों से मातृत्व अवकाश के नाम पर 10 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी होने का अनुमान है।

मृतक आश्रित को दी जा सकती है न्यूनतम अर्हता में छूट

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत न्यूनतम अर्हता में छूट दी जा सकती है। निजी संस्थाओं की प्रबंध समिति मृतक आश्रित को समायोजित करने से इन्कार नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्कूल प्रबंध समिति पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना आश्रित को मुकदमेबाजी में उलझाकर परेशान करने के लिए लगाया गया है। कोर्ट ने नियमित वेतन भुगतान करने सहित चार हफ्ते में हर्जाना राशि का भुगतान आश्रित बृजेश गोपाल खलीफा को करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने रमाकांत सेवा संस्थान कन्या विद्यालय वाराणसी की प्रबंध समिति की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खंडपीठ ने मृतक आश्रित को नियुक्ति का आदेश दिया और नियुक्ति आदेश को एकलपीठ में दोबा. रा चुनौती दी गई। कहा कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर प्रबंध समिति ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

आश्रित बृजेश गोपाल की तरफ से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की। बृजेश गोपाल को 14 जुलाई 2015 को बीएसए ने नियुक्ति का आदेश दिया। लेकिन, विद्यालय में उसे नियुक्ति नहीं दी गई। फिर बीएसए ने शिवकरण सिंह गौतम उ.मा. विद्यालय भदैनी में लिपिक पद पर नियुक्ति का आदेश दिया। वहां भी नियुक्ति नहीं दी गई। इस पर कई दौर की मुकदमेबाजी चली। सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक को दो बार कोर्ट ने नियुक्ति तय करने का आदेश दिया। लेकिन, मृतक आश्रित को नियुक्ति नहीं मिल सकी। कोर्ट के आदेश पर 29 अक्टूबर 2018 को बृजेश गोपाल को रमाकांत सेवा संस्थान कन्या विद्यालय वाराणसी नियुक्ति मिल सकी। यही वही स्कूल है जहां बृजेश गोपाल की मांग शिक्षक थीं और उनकी सेवाक. ाल में मृत्यु हो गई थी।

कोर्ट के आदेश पर बृजेश की नियुक्ति तो कर ली गई लेकिन, प्रबंध समिति ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित की तुरंत नियुक्ति करनी चाहिए जबकि ऐसा न कर उसे परेशान किया गया। कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए भारी हर्जाना लगाया है।

डंप यार्ड बन रही दिल्ली

नई दिल्ली। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार दिल्ली औद्योगिक कचरे का भी डंप यार्ड बनती जा रही है। यहां के औद्योगिक कचरे का न तो निपटान किया जाता है और न ही उसको रिसाइकल करने की कोई व्यवस्था है। यहां तक कि शहर के कुल ठोस कचरे का भी लगभग 50 फीसद ही निस्तारण हो रहा है। यह तथ्य सामने आया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी की गई स्टेट ऑफ इंडियाज की अपडेटेड रिपोर्ट में। मालूम हो कि यह रिपोर्ट यूं तो फरवरी माह में जारी की गई थी, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन बुधवार देर रात जारी किया गया है। रिपोर्ट दिल्ली–एनसीआर सहित देश भर के प्रदूषण पर खासी तथ्यात्मक जानकारियां सामने लाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 1,13,600 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनसे सालाना 4,19,736 मिलियन टन खतरनाक कचरा निकलता है। लेकिन, इसका न तो कहीं निस्तारण किया जाता है और न ही इसके रिसाइकल की कहीं कोई व्यवस्था है। इसी तरह दिल्ली में निकलने वाले ठोस कचरे का भी बमुश्किल 55 फीसद ही निपटान हो रहा है। शेष 45 फीसद भलस्वा, गाजीपुर व ओखला लैंडफिल साइट पर डंप हो रहा है।

डीएलसी की अक्षमता से श्रमिकों का उत्पीड़न

नोएडा। श्रम विभाग की लापरवाही तथा तुगलकी फरमान का श्रमिकों को दंश झेलना पड़ रहा है। गौतमबुद्धनगर के श्रमिकों के पेंचीदे मामलों की सुनवाई के लिये नोएडा से कानपुर तक जाने की मुसीबत उठानी पड़ रही है। इसका प्रमुख कारण अक्षम उप श्रमायुक्त की तैनाती। यह आरोप लगाये कई श्रमिकों तथा श्रमिक संगठनों ने। उनका कहना है कि नोएडा में तैनात उप श्रमायुक्त (डीएलसी) अपनी अदूरदर्शिता तथा अपरिपक्व अनुभव के कारण अधिकांश मामले को निपटाने में अक्षम साबित हो रहे है। इसके बाद भी शासन उन्हें यहां से सम्मान जनक विदा करके किसी सक्षम तथा काबिल अधिकारी की तैनाती क्यों नहीं कर रहा है। हाल ही में सेक्टर–58 स्थित मैसर्स सिक्योरिट्रान्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा श्रमिकों का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में भी श्रमिकों को कानपुर स्थित श्रमायुक्त के यहां 16 जुलाई को तलब किया गया है। चूंकि यहां के उप श्रमायुक्त इस मामले का समाधान करने में अक्षम साबित हो रहे है इसलिए अब मामला श्रमायुक्त की पाले में गया है। उपश्रमायुक्त पीके सिंह ने उक्त कंपनी के प्रबंधन तथा श्रमिकों को कानपुर जाने की सूचना भेजी है। हिन्द मजदूर सभा के महामंत्री आरबीएस चौहान का भी कहना है कि नियोक्ता प्रबंधन तो कानपुर जाने का खर्च वहन कर लेंगे। लेकिन गरीब श्रमिकों को पैसे तथा समय की बर्वादी झेलनी पड़ती है। यह व्यवस्था श्रमिक विरोधी है। शासन या तो किसी सक्षम व योग्य उप श्रमायुक्त की यहां तैनाती करें या कानपुर जाने की बाध्यता को समाप्त करें।

माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए ग्राम समृद्धि योजना

नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को पदभार संभालने के बाद कहा कि सरकार जल्द ही ग्राम समृद्धि योजना शुरू करेगी। इसके तहत किसानों को देशभर में 10 लाख रुपये से कम पूंजी वाली 70,000 तक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का पायलट प्रोजेक्ट चार राज्यों में चलाया जाएगा। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। उधर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का पद संभाल लिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार का ध्यान रोजगार बढ़ाने पर होगा। कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने का रोडमैप बाद में जारी किया जाएगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री अरविंद गनपत सावंत ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रलय की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने के इरादे से वह कुछ उद्योगों में जान फूंकेंगे। देश में उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं देश की कुछ बड़ी चुनौतियां है।

आग की रोकथाम के लिए बनेगी कार्ययोजना

नई दिल्ली। जंगल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एनजीटी ने सेंट्रल मॉनीटरिंग कमेटी को जवाबदेही व्यवस्था कायम करने और कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) के प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली सेंट्रल मॉनीटरिंग कमेटी जंगल में होने वाले अग्निकांडों पर नजर रखेगी। इस कमेटी में सात सदस्य होंगे।

बतानी होगी विद्युत सुरक्षा की स्थिति

गाजियाबाद। कोचिंग सेंटर संचालकों को भवन, विद्युत सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अग्निशमन और शिक्षा विभाग को सेंटर संचालकों के दावों की जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रारूप में कोचिंग सेंटर संचालक को अपना पूर्ण ब्योरा देना होगा। पंजीकृत छात्रों की संख्या बतानी होगी। भवन आवासीय है या व्यावसायिक बताना स्पष्ट करना होगा। भवन की स्थिति सामान्य है या जर्जर, यह जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा भवन का आकार, मानचित्र की स्थिति, तल, कवर्ड एरिया, भवन की ऊंचाई, निकासी मार्ग, वेंटीलेशन की व्यवस्था, प्रवेश और निकासी द्वारों की संख्या बतानी होगी। विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से कोचिंग सेंटर के बिजली कनेक्शन का लोड, एसी की संख्या, वायरिंग की क्षमता और स्थिति बतानी होगी। अग्निशमन व्यवस्था के ब्योरे में अग्निशमन यंत्र, छत व भूमिगत टैंक की क्षमता, पंप की संख्या, निकासी संकेत, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, भवन में स्प्रिंकलर्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, वेट राइजर आदि की जानकारी देनी होगी।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
Editorial
04 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जुलाई, 2019

सम्पादकीय

दावे और हकीकत

सत्येन्द्र सिंह

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को अमल में आए दो साल पूरे चुके हैं। लेकिन जीएसटी को लेकर इन दो सालों में उद्योग जगत और कारोबार के किसी भी हिस्से से कोई ऐसी संतोषजनक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, जिससे इसकी सफलता और स्वीकार्यता का संकेत मिलता। शुरूआत में कर की दरों के जो वर्ग बनाए गए, वे इतने ज्यादा अतार्किक थे कि लग ही नहीं रहा था कि यह कोई अच्छी कर व्यवस्था का रूप लेगी। इसकी आड़ में कर संग्रह के नाम पर सरकारी खजाना भरता गया। इसीलिए अभी तक जीएसटी को एक जबरन थोपी हुई कर व्यवस्था के रूप में ही देखा जा रहा है। छोटे और मझोले कारोबारियों को तो इस नई कर व्यवस्था की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी है। ऐसे उद्योग-धंधों की संख्या कोई मामूली नहीं है जिनकी जीएसटी ने कमर तोड़ कर रख दी। कारोबार ठप पड़ गए। इन सबके मूल में सबसे बड़ा और पहला कारण जीएसटी की जटिलता और इसे लागू करने में जल्दबाजी माना जाता रहा है। आर्थिक और कर विशेषज्ञ तक इसकी खामियों और लागू करने के तरीके को लेकर सवाल उठाते रहे। एक देश, एक कर-व्यवस्था की अवधारणा अच्छी जरूर है, लेकिन इसमें जो झोल रह गए हैं और जिस आधी-अधूरी तैयारी से इसे लागू किया गया, उसका नतीजा अब सरकार के गिरते राजस्व संग्रह लक्ष्यों के रूप में सामने आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस बार जून में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाया। अर्थव्यवस्था के लिए यह चिंताजनक है। सरकार खुद मान रही है कि जीएसटी वसूली उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। पिछले दो साल के आंकड़े जीएसटी संग्रह की हकीकत को बयान करने के लिए काफी हैं। दो साल यानी चौबीस महीनों में सिर्फ छह महीने ऐसे रहे जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। जबकि नई कर व्यवस्था लागू करते वक्त दावा यह किया गया था कि इससे कर संग्रह तेजी से बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। उलटे निराशाजनक तस्वीर ही सामने आ रही है। जीएसटी में कर चोरी रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था का अभाव साफ नजर आ रहा है। कारोबारियों द्वारा फर्जी बिल दाखिल करने के मामले सामने आते रहे हैं। सरकार भी इस बात को मान रही है। इसीलिए केंद्र और राज्यों को मिल कर जीएसटी की चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात इसके अमल को लेकर है। कारोबारी अभी तक रिटर्न फाइल करने से बच रहे हैं। सरकारी अमले को भी जिस तेजी से इस दिशा में बढ़ना चाहिए था, उसकी सुस्त रफ्तार भी कर संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी बाधा साबित हुई है। जीएसटी को सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में समय-समय पर सरकार ने कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन कर की दरों में बदलाव करके किया है। अभी जीएसटी की चार दरें हैं- पांच, बारह, अठारह और अट्ठाईस फीसद। ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं बारह और अठारह फीसद वाले वर्ग में आ चुकी हैं। अट्ठाईस फीसद वाले वर्ग में बहुत ही कम वस्तुएं रह गई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि दरें घटाने से पिछले दो साल में नब्बे हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है।

उद्योगों के पानी की योजना भूला निगम

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

गाजियाबाद। उद्योगों में पानी की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। नगर निगम अधिकारी औद्योगिक क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने की योजना को फाइलों से बाहर नहीं ला पाए। महीनों पहले बोर्ड से डीपीआर मंजूर होने के बावजूद इंदिरापुरम और डूंडाहेड़ा में टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू हो पाया। पैसा जुटाने के लिए 150 करोड़ रूपये का बॉन्ड लांच करने की योजना भी अटक गई है।

शहर में उद्योगों के लिए पानी आपूर्ति की व्यवस्था बेहद खराब है। उद्योग बंधु की बैठक में बार-बार समस्या उठाने पर इंदिरापुरम और डूंडाहेड़ा एसटीपी पर टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना तैयार की गई थी। इन प्लांटों में सीवर के पानी को साफ करके उद्योगों में आपूर्ति की जा सकती है। इस योजना की डीपीआर में बताया गया था कि साफ होने के बाद पानी की टीडीएस 500 से कम होगा। जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) पांच मिलीग्राम प्रति लीटर से कम रहेगी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) 50 एमजी लीटर प्रति लीटर से कम रहेगी। बताया था कि इंदिरापुरम में टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर 232.61 करोड़ रूपये की लागत आएगी। यहां से साहिबाबाद, लोनी, राजेंद्र नगर और श्याम पार्क औद्योगिक क्षेत्र के लिए 40 एमएलडी पानी दिया जाएगा। डूंडाहेड़ा में टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में 217 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इस प्लांट से कविनगर, बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र, साउथ साइड औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड और मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र को 40 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन, छह महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद इस योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया है।

> उद्योगों को पानी मुहैया कराने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना के लिए जुलाई अंत तक बॉन्ड जारी करने का प्रयास किया जाएगा। बॉन्ड से पैसा जुटाने के बाद प्लांट लगाने का काम होगा।
> - अरूण कुमार मिश्रा, लेखाधिकारी, नगर निगम

❑ दो स्थानों पर टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना पर काम नहीं हुआ शुरू

आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हक में बने नीति: योगी

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा एवं मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के लिए व्यवहारिक नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा, नीति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आउटसोर्सिंग कर्मियों का शोषण न होने पाए और उन्हें समय से नियमित मानदेय मिले। यह मानदेय बैंक खाता के जरिये दिया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार की देर शाम लोकभवन में सेवा एवं मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के लिए प्रस्तावित नीति का अवलोकन कर रहे थे। उनके समक्ष अधिकारियों ने प्रस्तावित नीति का प्रस्तुतीकरण किया। योगी ने कहा कि प्रयास किया जाए कि महीने की अंतिम तारीख पर सेवा प्रदाता को भुगतान हो जाए तथा उसके अगले माह के पहले सप्ताह में कर्मियों को भुगतान दे दिया जाए। योगी ने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी के चयन का आधार आउटसोर्सिंग कर्मी को अधिक से अधिक सुविधा को बनाना चाहिए। सेवा प्रदाता कंपनी और कार्मिक के बीच होने वाले एग्रीमेंट की प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध करानी चाहिए। इस मौके पर मुख्य सचिव डा. अनूप चंद्र पांडेय, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति व कार्मिक मुकुल सिंहल, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

उद्योगों को बढ़ावा

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह संकल्पबद्ध दिख रही, वह उत्तर प्रदेश को सचमुच उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा सकता है। यह अच्छी खबर है कि सरकार फरवरी में दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने की तैयारी में जुटी है जिसमें करीब 65 हजार करोड़ रुपये लागत वाली 200 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है।

दरअसल, किसी भी राज्य का वास्तविक विकास वहां के औद्योगिक विकास में ही परिलक्षित होता है। यदि कोई सरकार दावा करती है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, परिवहन सुविधाओं और सरकारी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता को लेकर आदर्श परिस्थितियां हैं तो यह देखा जाना लाजिमी है कि उस राज्य में औद्योगिक निवेश की क्या स्थिति है। यदि निवेश अपेक्षानुसार नहीं है तो विकास के दावों पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। इस कसौटी पर उत्तर प्रदेश की हालत दो दशक से चिंताजनक थी क्योंकि सपा और बसपा सरकारों के शासनकाल में तमाम कवायद के बावजूद निवेशकों को यह भरोसा नहीं दिलाया जा सका कि वे प्रदेश में लाभ की उम्मीद के साथ निवेश कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने करीब सवा दो साल पहले प्रदेश की कमान संभालते ही औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने के प्रयास किए, जिनका असर दिख रहा है। योगी सरकार ने पिछले साल फरवरी में आयोजित इंवेस्टर्स समिट में कई कंपनियों के साथ करीब सवा चार लाख करोड़ रुपये निवेश के एमओयू हस्ताक्षर किए। इसके आधार पर पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें 29 इकाइयों में बाकायदा उत्पादन भी शुरू हो चुका है।

अर्थव्यवस्था की रफ्तार

सरकार की दूसरी पारी की पहली आर्थिक समीक्षा में इस साल विकास दर के सात फीसद तक रहने का अनुमान लगाया गया है। समीक्षा में बताया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बीते अप्रैल में घट कर तीन फीसद से नीचे आ गई है। पिछले पांच सालों में मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट आई है और यह 5.9 से घट कर 2.9 पर पहुंच गई है। इसी तरह उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई दर वित्त वर्ष 2018-19 में घट कर 0.1 फीसद के निम्न स्तर पर पहुंच गई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार खाद्य महंगाई की दर निम्न स्तर पर स्थिर रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि फलों, सब्जियों, दालों और अन्य कृषि उत्पाद की कीमतों में कमी दर्ज की गई। रुपए की विनिमय दर जरूर बढ़ी है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि की वजह से डॉलर के मुक. ाबले रुपया कमजोर हुआ है। मगर इसके संभलने का अनुमान है। इसी तरह विदेशी कर्ज लगातार घट रहा है। यह पिछले साल के 521.1 अरब डॉलर से घट कर 417.3 अरब डॉलर तक आ गया है। वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है। समीक्षा में राजकोषीय घाटे के 3.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह अब अर्थव्यवस्था में मजबूती आने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार के पिछले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में पहुंच गई थी। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर दिखा। इसलिए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमें अर्थव्यवस्था का आकार पांच हजार अरब डॉलर तक बढ़ाना है। लक्ष्य बड़ा है, पर मुश्किल नहीं। अगर सभी राज्य सरकारें साथ मिल कर काम करें, तो अगले पांच सालों में इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी के मद्देनजर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों की दो समितियां बनाई गईं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने संबंधी उपायों पर विचार करेंगी। इसमें नए रोजगार पैदा करने पर भी जोर है। इसके मद्देनजर आर्थिक समीक्षा में आकलन किया गया है कि जिन छोटे और मझोले उद्योगों में बड़े उद्योग के रूप में विकसित होने की संभावना है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। समीक्षा में विकास दर को आठ फीसद पर स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है, तभी अर्थव्यवस्था का आकार पांच हजार अरब डॉलर का बनाने में मदद मिल सकती है। मगर सरकार के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। उनमें लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाना, निर्यात को संतोषजनक स्तर पर पहुंचाना, उत्पादन की दर बढ़ाना और घरेलू बाजार में गति लाना प्रमुख हैं। सरकार इन चुनौतियों से वाकिफ है।

इसलिए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर बना रहेगा, पर भारत पर बहुत असर नहीं रहेगा, क्योंकि वैश्विक उत्पादन बढ़ेगा, तो भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर विद. ेशी निवेश बढ़ेगा तो चालू खाते के घाटे को पाटने में मदद मिलेगी। उत्पादन की दर बढ़ेगी, तो नए रोजगार के सृजन में भी मदद मिलेगी। इस तरह लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और नतीजतन घरेलू बाजार में गति आएगी। मगर सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में क्या नई रणनीति अपनाती है, देखने की बात है। इसी तरह बैंकों की हालत सुधारने की दिशा में किए गए प्रयास भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर काफी कुछ असर डालेंगे।

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@gmail.com

हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे अधिकारी जांच में कर दी तीन साल की देरी

आइआइटी मद्रास ने वर्ष 2016 में बता दिया था हैक्सावेलैंट क्रोमियम का स्त्रोत

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

गाजियाबाद। मेरठ औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट की दो किलोमीटर परिधि में भूगर्भ जल और मिट्टी की जांच कराने में तीन साल की देरी हुई है। पहले ही यह जांच करा ली गई होती तो अब तक हैक्सावैलेंट क्रोमियम का पूर्ण उपचार संभव हो जाता। भूगर्भ जल के तहरीले होने का खतरा टल जाता। आइआइटी मद्रास ने मार्च 2016 में हैक्सावैलेंट क्रोमियम के स्त्रोत का पता लगा लिया था।

बता दिया था कि यूपीएसआइडी के मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र के एक प्लॉट के नीचे यह जहरीला केमिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा है। यहीं से जहर लोहियानगर के सी–ब्लॉक तक पहुंचा था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और यूपीएसआइडी को इस बारे में अवगत करा दिया गया था। तीन साल से अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। उपचार के लिए कभी सोचा ही नहीं गया। क्रोमियम युक्त प्लॉट पर विवाद लंबित होने की बात कहकर अधिकारी जिम्मेदारी से बचते रहे।

जबकि, जनहित में विधिक प्रक्रिया अपना कर क्रोमियम को वहां से खत्म करने का प्रयास होना चाहिए था। ऐसा करने के बजाए बढ़ते खतरे को देखे रहे। इस लापरवाही का हश्र है कि लोहियानगर के आसपास पानी को जहरीला करने वाली 'बीमारी' जिंदा है। आसपास के इलाकों में 'बीमारी' फैलने का खतरा बढ़ गया है। उसे देखते हुए श्रीराम पिस्टंस एंड रिंग्स ने उपचार से पहले जांच कराने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है।

सुरक्षा दीवार न होती तो.....: यूपीएसआइडीसी औद्योगिक क्षेत्र की तरफ लोहियानगर की सीमा पर 200 बैरिकेडिंग फीड वेल की दीवार बनाई हुई है। प्रत्येक वेल डेढ़ मीटर की दूरी पर 240 फुट गहरे हैं। हर वेल में 3754 लीटर आइआइटी मद्रास का क्रोमियम रिड्यूस बैक्टीरिया डाला गया है। यह बैक्टीरिया हैक्सावैलेंट क्रोमियम को ट्राईवैलेंट क्रोमियम में तब्दील कर देता है।

इस रूप में आने के बाद क्रोमियम नीचे बैठ जाता है। ऐसे में क्रोमियम के फैलने से रोका जा रहा है। बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए हर दस मिनट बाद प्रत्येक वेल में 4000 लीटर पर में घोल कर न्यूट्रीएंट डाला जाता है। बैक्टीरिया का खाना है। इसका सेन करने के बाद बैक्टीरिया उर्जावान बन जाता है। वह बढ़ने लगता है। इसमें जरा–सी चूक खतरनाक हो सकती है। हर सतह पर पानी की नियमित जांच की जाती है। ये दीवार न होती तो भूजल पूरी तरह दूर हो जाता।

कुत्ते के काटने पर रिपोर्ट भेजें थाना प्रभारी: एसपी सिटी

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

गाजियाबाद। कुत्ते के काटने पर यदि हंगामा होता है तो अब थाना प्रभारियों को इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंपनी होगी। एसपी सिटी श्लोक कुमार शहर के सभी थाना प्रभारियों को इस बाबत निर्देश दिया। उनका कहना है कि आम लोग भी पुलिस या प्रशासन को सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 133 एफ के तहत ऐसे पशुओं का निस्तारण करने का प्रावधान है।

पुलिस की रिपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी लोगों को ऐसे जानवरों से निजात मिल सकती है। कुत्ता काटने को लेकर हाइराइज सोसायटियों में अक्सर हंगामा होता है। हाल में अजनारा इंटेग्रिटी सोसायटी में दो बच्चियों पर तीन कुत्तों ने हमला करने के बाद दो पक्ष आमने–सामने आ गए। सोसायटी में भारी हंगामा हुआ और दोनों तरफ से पुलिस को शिकायतें दी गई। पुलिस ने एक तरह से छेड़छाड़ और मारपीट व दूसरे पक्ष की शिकायत पर एनसीआर दर्ज की। एसपी सिटी का कहना है कि कुत्ते के काटने या किसी अन्य जानवर के हमला करने का मामला आता है तो पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन इसकी संबंधित थाने या सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में तो स्वतः संज्ञान लेकर या दी गई शिकायत के आधार पर रिपोर्ट बनाकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे। कुत्ते के काटने के मामलों में पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट और चोटिल हिस्से की फोटो के साथ रिपोर्ट भेजें।

क्या है 133 एफ

एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 133 एफ के तहत जानवरों के बारे में अलग–अलग प्रावधान हैं। कुत्ता किसी का पालतू हो या आवारा। दोनों के काटने पर पुलिस–प्रशासन को शिकायत की जा सकती है। प्रशासन के पास रिपोर्ट के आधार पर उक्त कुत्ते या अन्य किसी जानवर के निस्तारण का अधिकार है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वतः संज्ञान लेकर रिपोर्ट भेजें ताकि कानून–व्यवस्था बनी रहे।

'वाटर टैंक व होज रील सिस्टम लगना आवश्यक'

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

गाजियाबाद। स्कूलों व कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के लिए आवश्यक है कि 20 मीटर से ऊंची इमारतों में 50 हजार लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड और 5 हजार लीटर क्षमता का वाटर टैंक छत पर होना चाहिए। वहीं इसके साथ फायर होज रील सिस्टम जरूर होना चाहिए ताकि आग लगने की आपात स्थिति से निपटा जा सके। वहीं जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो दहशत न होने पाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 20 मीटर से ऊंची इमारतों में 50 हजार लीटर की अंडरग्राउंड क्षमता तथा छत पांच हजार लीटर की क्षमता का वाटर टैंक जरूर होना चाहिए। जिससे बड़ी आग पर अग्निशमन विभाग को बुझाने में सहूलियत रहे। वहीं होजरील लगा होना भी बहुत जरूरी है।

आरटीआइ में क्यों शब्द देखकर निरस्त न करें आवेदन

राज्य सूचना आयुक्त आरटीआइ के संबंध में अधिकारियों से बोले

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

गाजियाबाद। राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अधिकारियों से कहा है कि वह आरटीआइ में क्यों शब्द देखकर उसके आवेदन का निरस्त न करें। अधिकारी यह न देखें की आरटीआइ में क्यों शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो उसका जवाब नहीं देना है, बल्कि वह यह देखें कि यदि सवाल का जवाब रिकॉर्ड में है तो उसे आवेदक को उपलब्ध कराना है। जो जवाब रिकॉर्ड में है सिर्फ उसे ही आवे. दक को उपलब्ध कराना है। राज्य सूचना आयुक्त बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों व अन्य

❑ प्रदेश स्तर पर लगभग 50 हजार तक आरटीआइ अभी हैं लंबित

कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान आरटीआइ से संबंधित बारीकियों से कर्मचारियों को अवगत कराया और आरटीआइ को किस तरह से आम आदमी के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके पीछे आम आदमी व अधिकारियों को आरटीआइ के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही जनसूचना अधिकारी पारदर्शी बने।

प्रदेश स्तर पर अभी लगभग 50 हजार तक आरटीआइ लंबित हैं। जबकि मेरठ मंडल में इसकी संख्या करीब दो हजार है। पिछले कुछ समय में आरटीआइ के निस्तारण में तेजी आई है और लंबित आरटीआइ की संख्या घटी है। आरटीआइ के नियमों के उल्लंघन पर प्रदेश में करीब 12 हजार अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया जा चुका है। प्रदेश भर से शिकायतें मिलती है कि एक्ट का मिसयूज हो रहा है। लोग समाज के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल कर रहे हैं।

एनजीटी के आदेश के बावजूद नहीं लगा रहे नॉइज बैरियर

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

गाजियाबाद। कौशांबी के लोगों को बसों के हॉर्न से दिक्कत होती है। शोर से लोगों के कान फटे जा रहे हैं। इससे राहत पाने के लिए कौशांबी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (कारवा) ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। पिछले वर्ष अगस्त में एनजीटी ने आदेश दिया था कि नॉइस बैरियर लगाया जाए।

अतिक्रमण हटवाया जाए। एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान पर काम करने के लिए कहा गया था। जीडीए को नॉइस बैरियर लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। डीएम ने इस आदेश के अनुपालन के संबंध में बैठक ली। उसमें जीडीए ने नॉइस बैरियर लगाने से हाथ खड़े कर दिए।

यह कहते हुए कि इन्हें लगवाना अत्याधिक खर्चीला है। कारवा के अध्यक्ष वीके मित्तल ने आरोप लगाया कि जीडीए एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है।

वर्कफोर्स में महिलाओं की तादाद बढ़ाने के लिए आएगी पॉलिसी!

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी अगले पांच वर्षों में बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत तक ले जाने की एक नीति पर काम कर रही है। यह कदम बीज. पी के चुनावी वादे के हिसाब से उठाया जा रहा है। एक सीमा से अधिक महिला कर्मचारियों को रखने वाली फर्मों को टैक्स इंसेंटिव देने, असंगठित क्षेत्र में मौजूदा कानूनों को लागू करने, महिलाओं को काम पर वापस लौटने में मदद करने वाली उदार नीतियां बनाने जैसे कदमों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही प्राइवेसी, मिनिमम वेज और मैटरनिटी बेनेफिट जैसे प्रावधानों को इनफॉर्मल सेक्टर में लागू कराया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस योजना पर चर्चा चल रही है और इस संबंध में नीति जल्द बनाई जा सकती है क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल मामला है। डेलॉयट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी 2005 के 36.7 पर्सेंट से गिरकर 2018 में 26 पर्सेंट पर आ गई थी। इसका मतलब यह है कि 95 पर्सेंट यानी 19.5 करोड़ महिलाएं या तो असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं या बिना वेतन वाले काम कर रही हैं।

❑ बीजेपी के चुनावी वादे को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले 5 वर्षों में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 प्रतिशत तक पहुंचाना चाहती है

सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से हाल में जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2018 में शहरी क्षेत्र की महिलाओं में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा 10.8 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में 3. 8 प्रतिशत थी। 15–29 वर्ष के ग्रुप में यह रेट शहरी महिलाओं में 27.2 पर्सेंट और गांव की महिलाओं में 13.6 पर्सेंट पर था। यह आंकड़ा शहर के पुरुषों में 18.7 पर्सेंट और गांव के पुरुषों में 17. 4 पर्सेंट पर था। नीति आयोग ने अपने इंडिया/75 रोडमैप में सरकार को सुझाव दिया था कि महिलाओं की लेबरफोर्स में भागीदारी को 30 पर्सेंट तक पहुंचाना चाहिए। बीजेपी के 2019 के घोषणापत्र में भी 'वुमेन इन वर्कफोर्स' नामक रोडमैप बनाने की बात कही गई थी जिसमें अगले पांच सालों में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाना और इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट्स को महिलाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था।

अधिकारी के मुताबिक, यह कई सेक्टरों से जुड़ा काम है और इसे साकार करने के लिए लेबर एंड एंप्लॉयमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डिवलेपमेंट, स्किल डिवेलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट के साथ तमाम मंत्रालयों को मिल कर काम करना होगा। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट ऋतुपर्णा चक्रबर्ती ने कहा, 'यह जरूरी है कि सरकार सही राय बनाए। यह बात उसके कदमों में साफ दिखनी चाहिए कि महिलाओं पर केंद्रित ऐसे कदम 2017 के मैटरनिटी बेनेफिट (अमेंडमेंट) एक्ट की तरह बैकफायर नहीं कर जाएंगे।'

ट्रस्ट संचालकों को बताने होंगे आय और व्यय के स्रोत

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

कानपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर के ट्रस्ट ऑडिट के फॉर्म–10बी में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए संशोधन में अब फार्म–10बी दो की जगह सात पेज का होगा। इसके तहत आने वाले ट्रस्ट संचालकों को धन के स्नोत बताने के साथ ही खर्च का प्रत्येक आंकड़ा भी देना होगा। जबकि अब तक तीन जानकारियां ही प्रमुख रूप से मांगीं जाती थीं। प्रस्तावित बदलाव के लिए पांच जून तक ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं।

सीबीडीटी के मुताबिक फॉर्म 10बी में अंतिम संशोधन 1973 में हुआ था। लंबा समय गुजरने के चलते इसमें परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। अभी फॉर्म 10बी दो पेज का है। इसमें पहले तीन बिंदुओं पर जानकारी देनी जरूरी होती है। प्रस्तावित फॉर्म 10बी में बहुत परिवर्तन है। इसमें आयकर रिटर्न सात की तरह जानकारियां मांगी हैं। टैक्स सलाहकारों के मुताबिक पहली बार पंजीकृत कार्यालय की जानकारी मांगी गई है। उसका कानूनी स्तर क्या है, यह भी बताना होगा। वह ट्रस्ट है या कंपनी, इसमें यह जानकारी देनी होगी।

ये जानकारियां भी मांगीं

- ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य।
- उद्देश्य में पिछले वर्ष और इस वर्ष क्या परिवर्तन किए।
- कहां से धन आया और कहां लगाया।
- 12ए में जो शर्तें लगाईं, उन्हें पूरा किया या नहीं।
- ट्रस्ट ने यदि कोई बिजनेस किया तो उसका विवरण।
- कोई ऐसा खर्च जिसकी छूट नहीं मिलती है, उसकी भी जानकारी देनी होगी।
- लोन कब लिया और कब वापस किया।
- टीडीएस की कंप्लाइंस की या नहीं।

डीम्ड आय को अलग-अलग सेक्शन में पूछा है। इसे एक ही सेक्शन में रखते। इस तरह कुछ ज्यादा लंबा फॉर्म-10बी हो गया है। इस संबंध में जल्द ही सुझाव भेजेंगे।

दीप कुमार मिश्र, पूर्व चेयरमैन, सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया

फॉर्म-10बी में काफी ज्यादा जानकारियां मांगी हैं। ये पहले से विभाग के पास रहती हैं। इससे सूचनाओं का दोहराव होगा। पांच जून तक ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं।

शिवम ओमर, चार्टर्ड अकाउंटेंट

अमीर देशों को 3000 टन प्लास्टिक कचरा लौटाएगा मलेशिया

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

कुआलालंपुर। मलेशिया की सरकार ने मंगलवार को एलान किया कि उन अमीर देशों को करीब तीन हजार टन प्लास्टिक कचरा वापस भेजा जाएगा, जहां से कचरा उसके मुल्क में पहुंचा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मलेशिया ग्लोबल डंपिंग देश नहीं बनेगा। मलेशिया पिछले साल प्लास्टिक कचरे का प्रमुख गंतव्य स्थान बन गया था जब चीन ने ऐसे कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के चलते सालाना 70 लाख टन से ज्यादा कचरे के निस्तारण को लेकर समस्या खड़ी हो गई। दूसरी ओर, मलेशिया में दर्जनों रिसाइकलिंग फैक्टियां खुल गईं। इनमें से कई बगैर लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। मलेशिया के लोग इन फैक्टियों से पर्यावरण को नुकसान की शिकायत भी कर चुके हैं। मलेशिया की पर्यावरण मंत्री याओ बी यिन ने कहा, '60 कंटेनर कचरा अवैध रूप से देश में लाया गया है। इसे वापस भेजा जाएगा। इन कंटेनरों को झूठे घोषणापत्र और पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर लाया गया था। विकसित देशों के नागरिक यही सोचते हैं कि उनके यहां कचरा रिसाइकलिंग हो रहा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि उनके यहां का ज्यादातर कचरा मलेशिया में डंप किया जा रहा है।' उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की एक रिसाइकलिंग कंपनी पिछले दो साल के दौरान 50 हजार टन से ज्यादा कचरा मलेशिया को निर्यात कर चुकी है।

- सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मलेशिया ग्लोबल डंपिंग देश नहीं बनेगा।

इन देशों से पहुंचा कचरा

मलेशियाई अधिकारियों ने अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत उन 14 देशों की पहचान की, जहां से प्लास्टिक कचरा मलेशिया पहुंचा है।

फिलीपींस के राष्ट्रपति भी दे चुके हैं ऐसा ही आदेश

फिलीपींस के राष्ट्रपति रोडिगो दुतेर्ते ने भी पिछले हफ्ते अपनी सरकार को आदेश दिया था कि वह 69 कंटेनर कचरा वापस कनाडा भेजने के लिए किसी प्राइवेट शिपिंग कंपनी को जिम्मा सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कनाडा ने अपना कचरा वापस लेने से मना किया तो उसके जलक्षेत्र में ही कचरा गिरा दिया जाए।

पृष्ठ एक का शेष

पीएफ विभाग में 6 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया

तो इससे इसकी भाषा में ही जवाब दीजिये और इसको सबक सिखाइये। यदि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ऐसे लोगों का दिमाग खराब होगा ही। मेरठ पी एफ विभाग की इस मामले में जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि जिस गिरोह ने इस घोटाले को अंजाम दिया है उसके तार मेरठ पी एफ ऑफिस में गहरे तक जुड़े हैं इसलिए इसकी जाँच मेरठ में भी होनी चाहिए। मेरठ में इससे कई गुना बड़ा घोटाला सामने आएगा। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है की जब पी एफ विभाग पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने गया तो उसने नहीं दर्ज किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी कोई सुनवाई नहीं की जिसकी वजह से विभाग को कोर्ट जाना पड़ा है। कितना अजीब है की एक सरकारी विभाग का मुकदमा जब पुलिस नहीं दर्ज कर रही है तो कैसे एक साधारण आदमी पुलिस से अपना काम करवा सकता है और योगी के शासन काल में भी पुलिस का यह हाल है तो मामला अत्यंत ही गंभीर हो जाता है।

श्रम सुधारों को लेकर सरकार गंभीर, बिल लाने की तैयारी

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

नई दिल्ली। भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार श्रम सुधारों को लेकर गंभीर है। सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी प्रकार के रोजगार और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू कर सकती है। अभी यह अधिनियम नियोजित रोजगार के कर्मचारियों तक ही सीमित है। सरकार सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में एकरूपता लाने के लिए श्रम सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, खासकर यह देखते हुए कि 90 फीसद मजदूर असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। श्रम कानूनों में बदलाव के लिए केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रलय ने मजदूरी सं. हता विधेयक, 2019 तैयार किया है। जल्द ही संसद में पेश किए जाने वाले इस विधेयक में अन्य कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।

उदाहरण के लिए, प्रस्तावित कानून का एक पहलु यह हो सकता है कि संबंधित राज्य न्यूनतम मजदूरी तय और संशोधित कर सकती है, वहीं केंद्र सरकार, अधिसूचना के जरिए न्यूनतम मजदूरी का मानक तय सकती है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग–अलग हो सकता है। प्रस्तावित विधेयक पर अभी कैबिनेट की मुहर लगनी है। इसमें यह प्रावधान शामिल किए जाने की संभावना है कि मानक मजदूरी कामगार के न्यूनतम जरूरतों पर आधारित होगी। राज्य सरकारें इससे कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकती हैं। अगर राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी मानक मजदूरी से ज्यादा होगी तो उसे कम नहीं किया जाएगा।

दो फैक्ट्री पर छापा, 2.45 करोड़ का माल सीज

कानपुर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर के अधिकारियों ने मेटल फैक्ट्री और उससे संबंधित परिसरों में छापा मारकर 2.45 करोड़ रूपये का माल सीज किया। दोनों फैक्ट्री मालिक स्क्रैप से एल्यूमिनियम एक्स्ट्रूजन व चैनल बनाकर बिना कोई कर अदा किए आपूर्ति कर रहे थे। आयुक्त शिव कुमार शर्मा को कुछ दिन पहले ही दोनों फैक्ट्रियों में कर चोरी की जानकारी मिली थी। किसी भी स्थान पर स्टॉक रजिस्टर या खरीद–बिक्री से संबंधित बिल नहीं मिलने के कारण अधिकारियों ने लगभग 140 टन माल को संदिग्ध मानते हुए कब्जे में ले लिया। इसका बाजार मूल्य लगभग 2.45 करोड़ रूपए है। इस पर कर देयता लगभग 44.10 लाख रूपये बनती है। दोष सिद्ध होने पर करदाता को कर देयता के बराबर ही अर्थदंड भी जमा करना पड़ सकता है। छापा मारने वाले अधिकारियों में अधीक्षक हिमांशु श्रीवास्तव, विवेक गुप्त और उमेश शुक्ल समेत पूरी टीम थी।

वोट देने में आगे, पगार पाने में पीछे महिलाएं

पुरुषों के मुकाबले तीन चौथाई पगार भी नहीं पाती महिलाएं

–उद्योग विहार (जुलाई 2019)–

नई दिल्ली। भारत में राजनीति के क्षेत्र में तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल गए हैं लेकिन आर्थिक क्षेत्र में बराबरी का हक पाने के लिए उन्हें अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के लगभग बराबर और कई राज्यों में तो उनसे अधिक अनुपात में मतदान किया लेकिन आर्थिक क्षेत्र की कड़वी सच्चाई यह है कि गांव हो या शहर, स्वरोजगार हो या नौकरी महिला कामगारों की महीनेभर की कमाई उनके समकक्ष पुरुष कर्मियों से काफी कम है। सरकार के ताजा सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं की मासिक आय में बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में एक पुरुष कामगार महिलाओं की अपेक्षा 1.4 से 1.7 गुना ज्यादा मेहनताना पाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुष कर्मचारियों की आय महिलाओं की तुलना में 1.2 से 1.3 गुना ज्यादा है। 'पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे' शीर्षक वाला यह सर्वे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलय के अधीन आने वाली संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने वर्ष 2017–18 के लिए देशभर में किया था इसके नतीजे 31 मई को जारी किए गए हैं। सर्वे के मुता. बिक उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित मजदूरी और वेतनभोगी पुरुष कर्मचारियों की मासिक आय औसत 13,000 से 14,000 रुपये रही जबकि महिला कर्मचारियों की आय मात्र 8.5 हजार से 10,000 रुपये थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी करने वाले और वेतन भोगी पुरुष कर्मचारियों की मासिक आय 17,000 से 18,000 रुपये के बीच रही, जबकि महिला कर्मचारियों की आय मात्र 14,000 से 15,000 रुपये रही। यही हाल अकुशल श्रमिकों के मामले में भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल महिला श्रमिक को मात्र 166 रुपये से 179 रुपये की मजदूरी मिली जबकि पुरुषों को 253 से 282 रुपये मिले। इसी तरह शहरों में अकुशल पुरुष श्रमिक को 314 रुपये से 335 रुपये तक मजदूरी मिली जबकि महिला श्रमिक की मजदूरी मात्र 186 से 201 रुपये ही रही। स्वरोजगार के मामले में भी तस्वीर कोई अलग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के जरिए एक पुरुष कामगार महीने भर में 8,500 से 9,700 रुपये कमाए वहीं, महिला कामगार को मात्र 3,900 से 4,300 रुपये की आय हुई।

- पुरुष महिलाओं की अपेक्षा 1.4 से 1.7 गुना ज्यादा मेहनताना पाता है

ब्लैकमेलिंग में लगी थी पूरी चौकी, 15 गिरफ्तार

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

नोएडा। फरीदाबाद के रहने वाले सतीश उर्फ अंकित के आइडिया पर सेक्टर–44 स्थित पूरी पुलिस चौकी ब्लैकमेलिंग करने में जुटी थी। जिस व्यक्ति की शिकायत पर एसएसपी वैभव कृष्ण ने कार्रवाई कर दो कांस्टेबल को 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा उस व्यक्ति से पहले भी 50 हजार रुपये लिए जा चुके थे। गैंग को 50 हजार रुपये उससे और लेने थे। इसके लिए उसकी दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार चौकी पर खड़ी करा दी गई थी। पीड़ित व्यक्ति (कांट्रेक्टर) की शिकायत पर एसएसपी ने प्राथमिक जांच के बाद पहले तीन कांस्टेबल को पकड़ा व पूछताछ के बाद चौकी प्रभारी सुनील शर्मा, तीन पीसीआर प्राइवेट चालक, दो युवतियां सहित गैंग में शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।

रात में बनाते थे निशाना, युवती पहले लेती थी लिफ्ट : इसमें तीन युवतियों के शामिल होने की बात सामने आई है। अंकित ही युवतियों को लेकर आता था। इन तीन युवतियों में एक अंकित की पत्नी भी है। उसकी पत्नी सहित दो युवतियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार है। देर शाम के बाद से रात तक यह गैंग लोगों को निशाना बनाता था।

ऐसे होती थी ब्लैकमेल कर वसूली, तीन माह से चल रहा था धंधा : ब्लैकमेल कर वसूली के लिए युवती सुनसान रास्ते पर खड़ी रहती थी। वहां से निकल रहे ऐसे युवक से वह लिफ्ट मांगती थी जो कार में अकेले होता था। लिफ्ट देने वाले को शिकार बनाया जाता था। कार में बैठते ही युवती नौकरी की बात करने लगती थी। इसके बाद सेक्टर 44 चौकी क्षेत्र में जहां पीसीआर रहती थी उसके पास ही कार से वह उतर कर शोर मचाने लगती थी। दुष्कर्म या दुष्कर्म की को. शिश की शिकायत करती थी। साजिश के तहत पीसीआर पर सवार पुलिसकर्मी तथाकथित कार सवार आरोपित को पकड़कर चौकी लाते थे। वहां पहले जेल भेजने के लिए डराया जाता था। जेल जाने के डर से लोग पैसे देने को तैयार हो जाते थे। इसके बाद चौकी प्रभारी के जरिये समझौते की बात कह साजिश के शिकार हुए लोगों को छोड़ा जाता था। दो लोगों की शिकायत के बाद एसएसपी ने कार्रवाई की। मंगलवार को मीडिया में मामला सामने आने पर एक और पीड़ित ने एसएसपी से संपर्क किया है।

15 आरोपितों की हुई गिरफ्तारी

सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा निवासी मथुरा, कांस्टेबल मनोज कुमार निवासी बागपत, कांस्टेबल अजयवीर सिंह निवासी मेरठ, कांस्टेबल देवेन्द्र कुमार निवासी इटावा, पीसीआर चालक विपिन सिंह निवासी मैनपुरी, पीसीआर चालक दुर्वेश कुमार निवासी कन्नौज, पीसीआर चालक राजेश निवासी संभल, अनूप निवासी औरैया, सलीम खान निवासी बरेली, सतीश उर्फ अंकित फरीदाबाद हरियाणा, हरिओम शर्मा निवासी हरियाणा, सुरेश कुमार निवासी दिल्ली, देशराज निवासी दिल्ली, विनीता हरियाणा, पूजा निवासी हरियाणा।

श्रम मंत्री को उद्योगों की समस्या से अवगत कराया

श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्या एवं श्रम मंत्री भारत सरकार सन्तोष गंगवार से वार्ता करते हुए सत्येन्द्र सिंह एडिटर इन चीफ ''उद्योग विहार''।

घर में प्रदूषण बना रहा 'सिक बिल्डिंग सिंड्रोम' का शिकार

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

कानपुर। थकान, सिरदर्द, घबराहट, उलझन जैसी दिक्कतें हो रही हैं? अगर हां, तो यह प्रदूषण की देन हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह सिर्फ बाहर के प्रदूषण से पनपी बीमारी हो। घर के अंदर का प्रदूषण भी बीमारियों का शिकार बनाता है और इसकी अनदेखी स्वास्थ्य खराब कर रही है। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी परेशानियों को सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहते हैं। घरों–कार्यालयों में प्रदूषण का कारण मच्छर भगाने वाला क्वायल, खाना पकाना, सिगरेट का धुआं और रूम फ्रेशनर इसके कारक हैं। यह बात सामने आई है आइआइटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोध में। इस शोध में आइआइटी के हरे–भरे वातावरण वाले घर लिए गए हैं।

विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर अनुभा गोयल ने बताया कि शहर में वायु प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ ही रही है। लेकिन, जब 'इंडोर एयर क्वालिटी' को लेकर आइआइटी कैंपस के 60 फीसद घरों व कार्यालयों में प्रद. ूषण की मात्रा मापी गई तो यह भी मानक से ज्यादा निकली।

कार्बन डाइ आक्साइड का स्तर बहुत अधिक था। इसके बाद यह भी सामने आया कि सीओटू का स्तर ज्यादा होने से लोग 'सिक बिल्डिंग सिंड्रोम' का शिकार हो रहे हैं। इस वजह से उन्हें थकान, सिरदर्द, घबराहट, उलझन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कार्बन डाइ आक्साइड का स्तर 500 पीपीएम होना चाहिए लेकिन, आइआइटी के कार्यालयों में यह 1400 पीपीएम पर पहुंच गया। इससे बचाव के तरीके भी ईजाद किए गए हैं, जिनमें बहुत कम खर्च वाले उपायों से हर बीमारी दूर रहेगी।

भारत में इंडोर एयर क्वालिटी को लेकर स्टैंडर्ड तैयार नहीं : देश में इंडोर एयर क्वालिटी को लेकर अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं तैयार किए गए हैं। आइआइटी के प्रोफेसरों ने इस पर हैरानी जताई है।

2017 में वायु प्रदूषण से हुई 12 लाख मौतें : एसोसिएट प्रोफेसर अनुभा ने बताया कि वायु प्रदूषण (इंडोर व आउटडोर) से वर्ष 2017 में लगभग 12 लाख लोगों की मौत हो चुकी है।

शोध के दौरान ये मात्रा आई सामने

- घरों में पीएम वन की औसत मात्रा: 130 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब
- घरों में पीएम 2.5 की औसत मात्रा: 219 माइक्रोग्राम प्रति
- छात्रों के कमरों के अंदर पीएम वन की औसत मात्रा: 317 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब

ये उपाय करने होंगे

- घरों व कार्यालयों के अंदर एग्जास्ट फैन जरूर लगवाएं
- खिड़कियों को अधिकतर समय तक खुला रखें
- खिड़कियों नहीं हैं तो छोटे-छोटे रोशनदान जरूर बनवाएं

यूजीसी शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न के मामलों पर सख्त

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न के मामलों पर प्रभावी रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। आयोग ने संस्थानों से यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का ब्योरा मांगा है। इसमें 90 दिन से ज्यादा पुराने मामलों का अलग से ब्योरा मांगा गया है। यौन उत्पीड़न से जुड़े यूजीसी के 2015 के नियमों के तहत कोई भी संस्थान ऐसी शिकायतों को 90 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रख सकता है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आयोग सख्त कदम उठा सकता है।

यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से जुड़ी सारी जानकारी 31 जुलाई से पहले देने को कहा है। इनमें एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच के लंबित मामलों का ब्योरा देने को कहा गया है। साथ ही इस दौरान कितने मामलों का निपटारा किया गया, इसकी भी जानकारी मांगी गई है।

संस्थानों से लैंगिक समानता की दिशा में जागरूकता के उद्देश्य से पिछले वर्षों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा भी देने को कहा गया है। आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति के अनिवार्य गठन का भी निर्देश दिया है। साथ ही जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर देने को कहा है। संस्थानों में यौन उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने यह कदम उठाया है।

हाल के वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस तरह की 112 घटनाओं की शिकायत मिली थी। 2017 में यह संख्या बढ़कर 188 हो गई थी।

- आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों से मांगा शिकायतों का ब्योरा
- शिकायतें 90 दिन से ज्यादा तक लंबित रखने पर उठाया जाएगा कदम

यौन उत्पीड़न के आरोपित पायलट का एयर इंडिया परिसर में प्रवेश रोका

—उद्योग विहार (जुलाई 2019)—

नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न के आरोपित पायलट के एयर इंडिया परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एक अधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, आरो. पित पायलट को परिसर में प्रवेश के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। पिछले बुधवार को महाराजा एयरलाइन ने कहा था कि उसने उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। आरोपित के खिलाफ एक जूनियर महिला पायलट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। आरो. पित कमांडर रैंक का अधिकारी है। आरोपित को सोमवार को जारी एक पत्र में एयर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) अभय पाठक ने कहा, 'जांच जारी है... निलंबन अवधि में आप बिना लिखित अनुमति के एयर इंडिया लिमिटेड परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे।' महिला पायलट की शिकायत के अनुसार, यौन उत्पीड़न का यह मामला पांच मई को हैदराबाद में हुआ, जहां वह कमांडर पायलट से प्रशिक्षण ले रही थी। प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण सत्र के बाद उन्हें एक रेस्तरां में रात्रिभोज का प्रस्ताव दिया। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया, 'हम लोग आठ बजे शाम रेस्तरां पहुंचे और यहीं से हमारा मुश्किल दौर शुरू हो गया... वह कहने लगे कि वैवाहिक जीवन में वह काफी दुखी हैं। पूछने लगे कि मैं अपने पति से दूर कैसे रहती हूं। इसके बाद वह निहायत निजी क्षणों के बारे में बात करने लगे।' पीड़िता ने कहा, 'मैंने इन मुद्दों पर बात करने से मना कर दिया और कैब बुला ली। जब तक कैब आती, जब तक उनका व्यवहार काफी खराब हो चुका था। मैं उनके व्यवहार से स्तब्ध, दुखी, असहज, भयभीत और अपमानित महसूस कर रही थी।'

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
शख्सियत
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जुलाई, 2019

सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन मंशा अच्छी होने से क्या काम चलेगा? क्योंकि उस मंशा पर अमल तो इन्हीं सरकारी बाबुओं को करना है-विपिन मल्हन

- अधिकारियों को तो पैसे लेकर काम करने की आदत है। यदि आप कुछ ऑनलाइन जमा भी कर देंगे तो उसमें आपत्ति लगाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है।

- इस शहर को बसने में प्लानिंग ठीक से नहीं की गयी थी।
- श्रमिकों के परिवार के लिए कोई घर नहीं बनाये गए।
- किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर में फूड कोर्ट नहीं है
- ट्रांसपोर्ट के साधन भी बेहतर नहीं हैं, खासतौर से इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टरों में बहुत दिक्कत है
- इंस्पेक्टर राज कागजों से तो समाप्त हो गया है लेकिन वास्तव में अब पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है।
- जो भी नए सेक्टर या नए औद्योगिक क्षेत्र (जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे) विकसित किये जा रहे हैं उनमें यह सुविधाएँ जरूर उपलब्ध करवाई जाएँ

विपिन मल्हन रहने वाले तो पंजाब के हैं लेकिन पैदा कानपुर में हुए हैं। इनके पिता कानपुर में रोड कांट्रेक्टर थे। फिर ये दिल्ली आ गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। और नौकरी करने लगे। इन्होंने फिर अपना बिजनेस करने की ठानी और इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस शुरू किया ये टेलीविजन बनाते थे फिर उसकी मार्केट खत्म होने पर इन्होंनेएल सी डी और एल इ डी की फैक्ट्री शुरू की और अब मोबाइल असेसरीज का निर्माण कर रहे हैं। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काम करते हैं और इनका एक होटल "ऑरेंज पाई" के नाम से है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और इनका एक अस्पताल "एनएम सी" भी है। किसी सुंदर हीरो या मॉडल की तरह दिखने वाले विपिन मल्हन को देखकर हर कोई यही कहेगा की यह तो कोई चॉकलेटी हीरो है। लेकिन इतनी बड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालना मजाक नहीं है। ये शहर के विधायक और सांसद से भी अधिक सक्रिय रहते हैं और हमेशा इनके ऑफिस में फरियादियों की भीड़ लगी रहती है। इनकी चुस्ती फुर्ती के आगे अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़कर हमेशा ये कहीं भी अड़ जाते हैं और समस्या का समाधान करवाकर ही मानते हैं।

इनसे **"उद्योग विहार" के "एडिटर इन चीफ" "सत्येन्द्र सिंह"** से बातचीत के कुछ अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दिया है।

सत्येन्द्र सिंह –नोएडा कैसे बसा और इसमें क्या सुविधाएं उद्योगों को दी जा रही हैं ?

विपिन मल्हन – नोएडा सन 1976 में बना था। इसे बसाया तो गया था की यहाँ उद्योग लगेंगे लेकिन इसे पूरी प्लानिंग के साथ नहीं बसाया गया और इसे बसाते समय उद्योगों की मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रखा गया। न तो उद्योगपतियों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया और न ही श्रमिकों की समस्याओं का ध्यान रखा गया। इसे बनाया तो उद्योग लगाने के लिए लेकिन यह रेजिडेंशियल हब बन गया।

सत्येन्द्र सिंह –आप कह रहे हैं की इसे उद्योगों के लिए बसाया गया था लेकिन कोई सुविधाएँ नहीं दी गयी, तो कृपया बताये की क्या सुविधाएँ नहीं दी गयीं जो की मिलनी चाहिए थीं ?

विपिन मल्हन – इस शहर को बसने में प्लानिंग ठीक से नहीं की गयी थी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रॉ मैटेरियल की कोई मार्केट नहीं थी और लोग दिल्ली या गाजियाबाद में रॉ मैटेरियल लेने जाते थे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सेक्टर 10 और सेक्टर 9 में रॉ मैटेरियल की मार्केट डेवलप कर ली है। रॉ मैटेरियल किसी भी कारखाने को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है जिसके बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है। श्रमिकों के परिवार के लिए कोई घर नहीं बनाये गए। श्रमिकों के लिए कोई श्रमिक कुंज आज भी नहीं है और न ही इसे बसाते समय उनके बारे में ध्यान रखा गया की वे भी यहाँ पर रहेंगे और काम करेंगे। उनके बिना तो किसी भी उद्योग की कल्पना भी करना मुश्किल है। श्रमिकों के लिए श्रमिक कुञ्ज बनाये जाने चाहिए तथा उसमें उनके बच्चों के खेलने का मैदान और स्कूल के साथ ही अस्पताल की भी सुविधा होनी चाहिए।

सत्येन्द्र सिंह – किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर में फूड कोर्ट नहीं है जिसकी वजह से लोगों को दूर जाना पड़ता है अथॉरिटी को चाहिए की हर इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर में कियोस्क लगाने चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है और ट्रांसपोर्ट के साधन भी बेहतर नहीं हैं, खासतौर से इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टरों में बहुत दिक्कत है जिसकी वजह से ऑटो वाले हर जगह सड़क को जाम किये रहते हैं और श्रमिकों के साथ साथ उद्योगपतियों का भी चलना दूभर हो गया है। हर जगह आपको जाम मिलेगा। आप कहीं पर समय से पहुँच ही नहीं सकते हैं। सेक्टर 83 , 84 , 85 श्रमिक कैसे पहुँचेंगे ? कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं हैं आप सेक्टर तो बनाते जा रहे हो लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दे रहे हो।

विपिन मल्हन – हम सरकार से कहना चाहते हैं की जो भी नए सेक्टर या नए औद्योगिक क्षेत्र (जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे) विकसित किये जा रहे हैं उनमें यह सुविधाएँ जरूर उपलब्ध करवाई जाएँ ताकि पिछली भूल को सुधारा जा सके। लेकिन अफसोस की बात है की जब नोएडा की स्थापना हुई तब भी इन समस्याओं के विषय में नहीं सोचा गया और न ही अब भी कोई इन विषयों और समस्याओं पर सोच रहा है।

सत्येन्द्र सिंह –एन इ ए की स्थापना कब हुई थी और इसकी क्या भूमिका है ?

विपिन मल्हन – 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी फिर यहाँ पर उद्योग लगने शुरू हुए थे तो लोगों को उद्योगों को लगाने में तमाम नियम कानूनों की वजह से दिक्कतें भी आने लगीं फिर उनकी समस्या के समाधान के लिए ही 1978 में एन इ ए (नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन) का गठन हुआ और इसके माध्यम से उद्योगपतियों की समस्याएं सुलझायी जाने लगी। इस एसोसिएशन का काम सरकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों के मध्य एक ब्रिज (पुल) का काम करना है। एन इ ए पिछले 42 वर्षों से उद्योगों की समस्याओं को सुलझाती चली आ रही है।एन इ ए श्रमिकों के लिए एक छोटा सा अस्पताल भी चलाती है जहाँ पर मात्र 20 रुपये में पूरी बॉडी का चेक अप किया जाता है और तीन दिन की दवाएँ भी दी जाती हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्सरे इत्यादि सभी सुविधाये मरीजों के लिए उपलब्ध हैं।

सत्येन्द्र सिंह –क्या वर्तमान सरकार में जो सुविधाएँ उद्योगों को मिलनी चाहिए थी वो दी जा रहीं हैं ?

विपिन मल्हन – वर्तमान सरकार में पारदर्शिता है वह चाहती है की उद्योगों को पूरी सुविधाएँ मिलें और हर चीज ऑनलाइन कर रही है। उसका प्रयास है की हर चीज ऑनलाइन हो जाये लेकिन अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और अधिकारियों को तो पैसे लेकर काम करने की आदत है। उनको सरकार इसी काम की तनख्वाह देती है लेकिन वे हर कार्य के पैसे चाहते हैं और बिना पैसे के कोई फाइल हिल भी नहीं सकती है।

हर विभाग का यही हाल है फिर चाहे वो श्रम विभाग हो , नोएडा अथॉरिटी हो , पी एफ विभाग हो या इ एस आई विभाग हो। सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन मंशा अच्छी होने से क्या काम चलेगा ? क्योंकि उस मंशा पर अमल तो इन्हींसरकारी बाबुओं को करना है। जब तक इनको नहीं सुधारा जायेगा तब तक कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ जो सरकार देना चाहती है वो उद्योगों तक नहीं पहुँच पायेगा।

सत्येन्द्र सिंह –क्या इंस्पेक्टर राज समाप्त हो गया है ? अब उद्योगों को श्रम विभाग एवं अन्य विभागों के लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र क्या आसानी से मिल रहे हैं ?

विपिन मल्हन – इंस्पेक्टर राज कागजों से तो समाप्त हो गया है लेकिन वास्तव में अब पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। हाँ, कागजों में इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का नाम बदल कर डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज कर दिया गया है लेकिन उनके सारे कार्य वही हैं और उसी तरह कारखानों का शोषण चल रहा है। यदि आप कुछ ऑनलाइन जमा भी कर देंगे तो उसमें आपत्ति लगाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है और कानून में इतनी चीजे है जिनको पूरा कर पाना किसी कारखाना मालिक के लिए असंभव है। हमें कानून का भी सरलीकरण करना चाहिए और धरातल पर इंस्पेक्टर राज समाप्त होना चाहिए लेकिन हकीकत यही है की धरातल पर आज भी भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति नहीं मिल पायी है। हमारे पास बहुत शिकायतें अब भी रोज आती हैं।

सत्येन्द्र सिंह – वर्तमान सरकार में भी क्या अधिकारियों का वही रवैया है जो पहले था?

विपिन मल्हन – नहीं, अभी थोड़ा बदलाव हुआ है और उनका भी नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। अब अधिकारियों का रवैया थोड़ा सकारात्मक हुआ है जिसे अभी काफी बदलना होगा तभी उद्योगों को राहत मिलेगी और जब उद्योग चलेंगे तो श्रमिक भी खुशहाल होंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। उद्योग ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

सत्येन्द्र सिंह – आप एन इ ए में इतना सक्रिय रहते हैं क्या आगे आने वाले चुनावों में किसी पार्टी से यदि टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ना चाहेंगे?

विपिन मल्हन – देखिये ये औद्योगिक नगरी है और हमें इसकी नब्ज ठीक से मालूम है। मैं उद्योगपतियों की भी पीड़ा जानता हूँ और श्रमिकों की भी समस्याओं से वाकिफ हूँ। रही बात चुनाव लडने की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की मेरी कोई भी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। न ही मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। मैं बस जहाँ पर हूँ वही उद्योगों की सेवा करना चाहता हूँ।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह